न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –4/2018 जिला सीकर

जीवराज सिंह दत्तक पुत्र सार्दुल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्रम पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 22.8.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बंशीधर जाट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 14.8.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.8.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2017 इस प्रकार पारित किया गया कि – राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.43 (2) राज–6/2003 /पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे /बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव पत्रांक क्रमांकः भू.अ./17/1607 दिनांक 2.8.2017 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधाननुसार पटवारी हल्का पाटोदा मुताबिक ग्रम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 194, 269, 89, 36, 141, 305, 306, 183, 265, 125, 190, 299, 278 खसरा सख्या 123, 126/849, 127, 129, 138, 139, 106, 141, 105, 144, 145, 97, 407, 406 में रास्ते हेतु कमशः 0.10 हैक्टेयर (122 मीटर X 8 मीटर), 0.11 हैक्टेयर (140 मीटर X 8 मीटर), 0.08 हैक्टेयर (100 मीटर X 8 मीटर), 0.16 हैक्टेयर (200 मीटर X 8 मीटर), 0.19 हैक्टेयर (230 मीटर X 8 मीटर) , 0.08 हैक्टेयर (100 मीटर X 8 मीटर), 0.07 हैक्टेयर (82 मीटर X 8 मीटर), 0.18 हैक्टेयर (221 मीटर X 8 मीटर), 0.26 हैक्टेयर (322 मीटर X 8 मीटर),0.07 हैक्टेयर (82 मीटर X 8 मीटर), 0.19 हैक्टेयर (232 मीटर X 8 मीटर), 0.18 हैक्टेयर (220 मीटर X 8 मीटर) , 0.42 हैक्टेयर (520 मीटर X 8 मीटर), 0.11 हैक्टेयर (141 मीटर X 8 मीटर) खातों का कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 2.2 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 2712 मीटर व चौडाई 8 मीटर रास्ते का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकाड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैरमुमकीन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने, तदानुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 106 व 141 में स्थगन होने से उक्त दोनों खसरा नम्बरान को छोडा गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त आदेश दिनांक 22.8.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 22.8.2017 को खसरा नम्बर 407 की हद तक खारिज किये जाने तथा नक्शे में व रिकार्ड में किया गया अंकन दुरूस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 407 रकबा 11.85 हैक्टेयर में अपीलान्ट का 2/3 हिस्सा है जिसमें से पूर्व में कोई रास्ता चालू नहीं था न ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज था । पटवारी व तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 407 में कोई प्रचलित रास्ता नहीं होना अंकित किया है । विवादित स्थल का मौका देखने से पूर्व या बाद में तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को सूचना नहीं दिये जाने से मौका व जॉच रिपोर्ट गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है । काश्ताकारों को अपने अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता कायम किया है, जो 12 फिट का ही होना चाहिये, लेकिन 30 फिट रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नहीं है । उनका कहना था कि यदि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिये रास्ता नहीं है तो, उस काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (अ) के अनुसार भूमि का उचित मूल्य या रास्ते में गई उतनी भूमि देकर रास्ता कायम कराना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस नियम को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता कायम करने के संबंध में अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं ली गई एवं अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये व बिना सुने उसकी 0.42 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये लेकर कानूनी गलती की है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के कर्मचारी दिनांक 10.1.18 को मौके पर रास्ता चालू करने आये, तब अपीलान्ट के सवाल करने पर , अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी दी गई ओर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 407 की हद तक निरस्त किया जावे तथा नक्शे व रिकार्ड में किया गया अंकन दुरूस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट की ओर राजकीय अभिभाषक ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकतर काश्तकारों की खातेदारी भूमि में से उनकी सहमति एवं रास्ता मौके पर चालू होने से उसका राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया है, जो काश्तकारों के आने जाने के लिये सुविधाजनक है । उक्त गैरमुमकीन रास्ते के संबंध में अपीलान्ट के अलावा अन्य काश्तकारों को कोई आपत्ति नहीं है । उनका कहना था कि तहसीलदार की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 407 के खातेदार अपीलान्ट जीवराज सिंह का मौके पर आना व उनका रास्ता कटान में कोई ऐतराज नहीं होना व मोके पर रास्ता चालू होना अंकित किया हुआ है । उक्त कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता जनहित में तथा काश्तकारों की सुविधा हेतु उपयुक्त है ।

ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407 में से उसे बिना नोटिस दिये व बिना सुने गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने बाबत है । तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.8.2017 से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है । अपीलान्ट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय ने उसे 30 फिट रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नहीं है । अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है । यदि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिये रास्ता नहीं है तो, उस काश्तकार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (अ) के अनुसार भूमि का उचित मूल्य या रास्ते में गई उतनी भूमि देकर रास्ता कायम कराना चाहिये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 407 में से उसे बिना नोटिस दिये व बिना सुने गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया है । किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सुने बिना व सुनवाई हेतु बिना नोटिस दिये उसके अधिकारों के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये । अपीलान्ट के अधिवक्ता का कथन ''काश्ताकारों को अपने अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ता कायम किया है, जो 12 फिट का ही होना चाहिये, लेकिन 30 फिट रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नहीं है'', उचित प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने 8 मीटर चौडा गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई औचित्यपूर्ण अभिमत व्यक्त नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 22.8.2017 को उचित एवं विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में 8 मीटर चौडा गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में औचित्यपूर्ण अभिमत व्यक्त करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 22.8.2017 अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 407 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में 8 मीटर चौडा गैर मुमकीन रास्ता

कायम करने के संबंध में औचित्यपूर्ण अभिमत व्यक्त करते हुये पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 14.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर